



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1430/JH/2/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023

डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण,
उपायुक्त,
जिला लोहरदगा,
समाहरणालय बिल्डिंग,
लोहरदगा- 835302,
झारखण्ड
ई मेल: dc-loh@nic.in

श्री आर. रामकुमार,
पुलिस अधीक्षक,
जिला लोहरदगा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
जिला - लोहरदगा,
झारखण्ड
झारखण्ड - 835302

विषय: मुस्लिम समुदाय द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्रीमती सुखमनिया लकडा एवं अन्य, ग्राम- झालजमीरा, थाना - स्नेहा- जिला - लोहरदगा, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती सुखमनिया लकडा एवं अन्य से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है, (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्रीमती सुखमनिया लकडा,
ग्राम-झालजमीरा,
थाना-स्नेहा,
जिला - लोहरदगा,
झारखण्ड
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।